



भारत सरकार **Government of India**  
 खान मंत्रालय **Ministry of Mines**  
 भारतीय खान ब्यूरो **Indian Bureau of Mines**  
 क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय **Office of the Regional Controller of Mines**  
 भारतीय सर्वेक्षण परिसरकी भवन संख्या- 61, भूतल, सर्वे चौक, 17-ईसी रोड, देहरादून -  
 248001(उत्तराखण्ड)  
**Building No.61, Ground Floor, Survey of India Campus, Survey**  
**Chowk, 17 EC Road, Dehradun -248001 (U.K.)**  
**100TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail -**  
**[ro.dehradun@ibm.gov.in](mailto:ro.dehradun@ibm.gov.in)**

**Violation Letter**  
**E-MAIL / स्पीड पोस्ट**



फाईल संख्या/ File No:MCDR-MiFL0LST/13/2022-DDN-  
 IBM\_RO\_DDN

Mine Code:  
 38HPR10029

दिनांक:- 17.02.2024

सेवा में /To : मैसर्स सोहन सिंह मीत सिंह (लीगल उत्तराधिकारी - श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, सूर्यदेव सिंह, मीत सिंह), गांव एवं पोस्ट ऑफिस-कमरऊ, तहसील-कमरऊ, जिला-सिरमौर, हि.प्र.

Email-[sohansinghmeetsingh@gmail.com](mailto:sohansinghmeetsingh@gmail.com)

विषय /Sub: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Bhimgoda Limestone Mine Mining Lease over an area of 3.32 ha located near Village-Kamroo, Tehsil-Kamroo, District-Sirmour in Himachal Pradesh-Reg.

महोदय /Sir,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 02.01.2025 को श्री नरेंद्र ठाकुर, खान मलिक की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया |

<b>RULE NO.</b>	<b>NATURE OF VIOLATION OBSERVED</b>
11(1)	Mining Operation were not carried out in accordance with Review and Updation the mining plan approved vide letter MCDR-MPC0LST/2/2023-DDN-IBM_RO_DDN dated 16.08. 2023 to the following extent: <ol style="list-style-type: none"> <li>The development of benches was proposed from 2049 mRL to 2014 mRL with a height of 6 meters, forming a total of 7 benches. However, during the inspection, the bench height was found to exceed 6 meters, and only 4 benches were observed in the pit.</li> <li>In the PMCP chapter, neither the retaining wall nor the fencing was done as per the proposal.</li> </ol>
45 (7)	In the submitted annual return of 2023-24 discrepancy are found as follows: <ol style="list-style-type: none"> <li>It has been observed that you have submitted incomplete information by not providing the registration number of purchasers of mineral in the Annual returns.</li> <li>You mentioned the part time geologist in annual return therefore you are requested to submit the details and notice of appointment of geologist as per Rule 55 of MCDR (2017).</li> </ol>

- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एम सी डी आर संसोधन नियम -2021 के तहत दंडनीय अपराध है | 45(7) का उल्लंघन नियम 62(2) एम सी डी आर संसोधन नियम 2021 के तहत दंडनीय है ।
- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एम सी डी आर संसोधन नियम -2021 के तहत दंडनीय अपराध है |
- इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंशा की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे।

भवदीय /Yours faithfully,

(नितिन/Nitin)

कनिष्ठ खनन भू-विज्ञानी /Junior Mining Geologist  
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र 0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र 0). (geologicalwing@gmail.com)
- 3- गार्ड फाइल

(नितिन/Nitin)

कनिष्ठ खनन भू-विज्ञानी /Junior Mining Geologist  
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines